

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम-2023

परिचय

- सामान्य तौर पर व्यवसायों के सुचारू संचालन और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कारोबार सुगमता एक बुनियादी आवश्यकता है। विनियामक अनुपालन के युक्तिकरण, सरलीकरण और डिजिटीकरण पर केन्द्रित नीति के साथ भारत व्यापार करने में आसानी के लिए सुधारों के पथ पर दृढ़ बना हुआ है।
- जन विश्वास प्रावधानों के संशोधन अधिनियम ने अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और व्यापार करने में आसानी (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) में सुधार की नींव रखी है।

व्यवसाय संचालन को सुगम बनाने के लिए किए गए वैधानिक प्रयास

- 1948 का फार्मसी अधिनियम व्यवसायों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को सरल करता है। यह व्यवसायों को लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय और लागत को कम करने में मदद करता है।
- 1957 का कॉपीराइट अधिनियम व्यवसायों को कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल करता है। यह व्यवसायों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है।
- 1970 का पेटेंट अधिनियम व्यवसायों को पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल करता है। यह व्यवसायों को अपने नवाचारों को संरक्षित करने में मदद करता है।
- 1999 का ट्रेड मार्क्स अधिनियम व्यवसायों को ट्रेड मार्क प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल करता है। यह व्यवसायों को अपने ब्रांडों को संरक्षित करने में मदद करता है।
- 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व्यवसायों को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है। यह व्यवसायों को ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम व्यवसायों को धन शोधन नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है। यह व्यवसायों को धन शोधन से जुड़े खतरों को कम करने में मदद करता है।
- 2006 का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है। यह व्यवसायों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में मदद करता है।
- 1999 का वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम व्यवसायों को भौगोलिक संकेत प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल करता है। यह व्यवसायों को अपने उत्पादों के लिए भौगोलिक विशिष्टता का दावा करने में मदद करता है।
- 1952 का सिनेमैटोग्राफ अधिनियम व्यवसायों को सिनेमाघरों और फिल्मों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में मदद करता है। यह व्यवसायों को फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद करता है।
- 2009 का कानूनी माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) अधिनियम व्यवसायों को कानूनी माप विज्ञान नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है। यह व्यवसायों को सटीक और विश्वसनीय माप सुनिश्चित करने में मदद करता है।

इन अधिनियमों ने भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन अधिनियमों ने व्यवसायों को विनियमन का अनुपालन करना आसान बना दिया है, जिससे उनकी लागत और समय की बचत हुई है। इससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है और आर्थिक विकास को गति मिली है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 उद्देश्य :

- नौकरशाही बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से व्यापक नियामक सुधार करना ।
- इसके मार्गदर्शक सिद्धांत एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली को उच्च प्राथमिकता देते हैं जो छोटे अपराधिक दंडों के बजाय कम गंभीर अपराधों के लिए प्रशासनिक कार्यवाही या दीवानी दंड को प्रतिस्थापित करती है।
- इसका उद्देश्य प्रकाशन, पत्रकारिता, कृषि और पर्यावरण सहित विभिन्न उद्योगों में 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करके नियामक प्रवर्तन और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के बीच एक नाजुक संतुलन हासिल करना है।
- यह क्रांतिकारी कदम इस बदलाव का द्योतक है कि भारत में व्यापार करना कितना आसान है।
- यह अधिनियम छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के अलावा आर्थिक दंड को तर्कसंगत बनाने की परिकल्पना करता है।
- इसमें अधिनियम के लागू होने के बाद हर तीन साल में न्यूनतम जुर्माना और उसकी राशि 10 प्रतिशत बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान :

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम , 2023
भारतीय वन अधिनियम , 1927

1	2	3	4
<p>वन भूमि में मवेशी चराने पर जुर्माने और एक अवधि के लिए ८ महीने तक बढ़ाये जा सकने के कारावास का प्रावधान था ।</p> 	<p>जन विश्वास अधिनियम के तहत कारावास और जुर्माने के स्थान पर दंड का प्रावधान किया गया।</p> 	<p>ये संशोधन उन जनजातीय और ग्रामीण लोगों के लिए लाभकारी है जो मवेशी चराने के दौरान अनजाने में वन में प्रवेश कर जाते थे</p> 	<p>चूंकि उल्लंघन प्रकृति में गंभीर नहीं है और जानबूझकर नहीं किया जा सकता है इसलिए कारावास प्रावधान उचित नहीं थे। हालांकि 500 रुपये का जुर्माना लगाकर निवारण हासिल करने का प्रस्ताव है।</p> 

स्रोत : डीपीआईआईटी

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से, 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। निम्नलिखित तरीके से गैर-अपराधीकरण हासिल करने का प्रस्ताव है:

- पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग और व्यापार, प्रकाशन आदि को नियंत्रित करने वाले 42 कानूनों में 180 अपराधों को अपराधमुक्त किया गया है ।
- अधिनियम,में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और जनता की भलाई में सुधार करने के लिए कारावास की धाराओं को पूरी तरह से हटाने या मौद्रिक जुर्माने से बदलने का प्रावधान है।
- अधिनियम, के कुछ प्रावधानों में अपराधों का शमन का भी किया गया है।

- अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के तहत सभी अपराधों और दंडों को हटा देता है।
- अधिनियम में शिकायत निवारण तंत्र में परिवर्तन और दंड निर्धारित करने के लिए एक या अधिक निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम में निर्दिष्ट अधिनियमों में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और दंड का आवधिक संशोधन (हर 3 साल में न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि) प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के कुछ विशिष्ट लाभ निम्नलिखित हैं:

- वर्तमान में, कई छोटे अपराधों के लिए कारावास की सजा हो सकती है। यह व्यवसायों के लिए विनियमन का अनुपालन करना मुश्किल बना सकता है, क्योंकि इससे उन्हें कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अधिनियम इन अपराधों को अपराधमुक्त करके व्यवसायों के लिए विनियमन का अनुपालन करना आसान बनाता है।
- वर्तमान में, छोटे अपराधों के लिए कारावास की सजा के कारण, व्यवसायों को अक्सर कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता होती है। इससे व्यवसायों की लागत और समय दोनों की बचत होगी।
- छोटे व्यवसाय अक्सर छोटे अपराधों के लिए कारावास की सजा से डरते हैं। अधिनियम इन अपराधों को अपराधमुक्त करके छोटे व्यवसायों को शुरू करने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- वर्तमान में, छोटे अपराधों के लिए कारावास की सजा के कारण, न्याय प्रणाली पर बोझ बढ़ रहा है। अधिनियम इन अपराधों को अपराधमुक्त करके न्याय प्रणाली पर बोझ कम करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष :

इस कानून को लागू करने में सरकार का लक्ष्य आम तौर पर सार्वजनिक कल्याण में सुधार करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और उद्यमों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना है। अधिनियम, नियामक ढांचे को सुगम करता है और कंपनियों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) पर बोझ कम करता है, जो अक्सर अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन सुधारों से मुख्य रूप से उन्हें, अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक समान अवसर देकर लाभ पहुंचाया जाएगा।



गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

परिचय

अगस्त 2016 में स्थापित, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक विश्व स्तरीय, मजबूत डिजिटल पोर्टल है जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, संगठनों और संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की शुरु से अंत तक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल समाधान की आवश्यकता

- सरकारी खरीद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सरकारों को अपने नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने में मदद करती है। हालांकि, पारंपरिक सरकारी खरीद प्रक्रियाएं अक्सर अपारदर्शी, समय लेने वाली और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होती हैं।
- सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल समाधान पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं।
- ये समाधान सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाकर भ्रष्टाचार को कम करने, लागत और समय की बचत करने और सरकारों को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं को कम कीमतों पर खरीदने में मदद कर सकते हैं।

जेम की उत्पत्ति : सरकारी ई-मार्केटप्लेस की स्थापना देश के सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, मजबूत और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से की गई थी।

विकास की दिशा

- कुल खरीद में वृद्धि: जेम के माध्यम से कुल खरीद में लगातार वृद्धि हुई है। 2022-23 में, पोर्टल के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की गई।
- विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि: जेम से पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। 2022-23 में, पोर्टल पर 1.5 लाख से अधिक विक्रेता पंजीकृत थे।
- सेवाओं में वृद्धि: जेम पर सेवाओं की खरीद में भी वृद्धि हुई है। 2022-23 में, सेवाओं की खरीद में 168% की वृद्धि हुई।

जेम - इज़ ऑफ़ इंग बिज़नेस को बढ़ावा देना

- मार्केटप्लेस प्रदान करना:** जेम एक बाजार स्थान प्रदान करता है जहां खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और सौदे कर सकते हैं।
- लेनदेन प्रक्रिया में सहायता करना:** जेम लेनदेन प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:** जेम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय करता है।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** जेम एक खुला और प्रतिस्पर्धी बाजार प्रदान करता है, जो खरीदारों को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।
- निर्बाध पंजीकरण प्रक्रिया:** जेम निर्बाध पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है जो आसानी, सुविधा और न्यूनतम डाटा प्रविष्टि को प्राथमिकता देती है।

- **सुविधा:** प्रत्यक्ष खरीद, खरीद, बोली, रिवर्स नीलामी, फॉरवर्ड नीलामी, एकल पैकेट बोली और पुश बटन खरीद सहित विभिन्न तरीकों से खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- **स्वचालित अनुबंध प्रबंधन:** जेम एक स्वचालित अनुबंध प्रबंधन प्रणाली प्रदान करता है जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच समझौतों को तेज और कुशल बनाता है।
- **कैशलेस भुगतान और समय पर लेनदेन:** जेम शत-प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन देता है और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- **सूचना दृश्यता:** जेम एमएसएमई, स्थानीय विक्रेताओं और स्टार्टअप को अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **विश्वास-आधारित रेटिंग प्रणाली:** जेम एक विश्वास-आधारित रेटिंग प्रणाली प्रदान करता है जो खरीदारों और विक्रेताओं के प्रदर्शन को मापता है।
- **मांग पूर्वानुमान:** जेम खरीदारों की वार्षिक खरीद योजना के आधार पर मांग का पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- **प्रतिस्पर्धी बाजार कीमत:** जेम खरीदारों को हाल के दिनों में समान वस्तुओं के लिए जेम पर किए गए लेनदेन का मूल्य देखने की अनुमति देता है।
- **सूचना:** जेम अपने हितधारकों को सभी प्रासंगिक परिवर्तनों, नोटिसों और अपडेट के बारे में सूचित करता है।
- **चैटबॉट:** एकीकृत चैटबॉट, आस्क जेममाई उपयोगकर्ता के प्रश्नों को उचित टीम तक पहुंचाता है।
- **विवाद समाधान:** 'विवाद से विश्वास-II' (संविदात्मक विवाद) खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को हल करने में मदद करता है।

जेम का भविष्य के लिए रोडमैप निम्नलिखित है:

- **पहुंच का विस्तार:** जेम का रणनीतिक फोकस सभी स्तरों पर सरकारी खरीदारों को अपने मजबूत ई-खरीद बुनियादी ढांचे में एकीकृत करके अपनी पहुंच का विस्तार करने पर है। ज्यादा से ज्यादा राज्य अब जेम के माध्यम से खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- **संरचना में सुधार:** जेम ने उन्नयन की संरचना संबंधी चुनौतियों का सामना करने तथा खरीददारों और विक्रेताओं की बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोग किया है।
- **विविधता में वृद्धि:** अनुकूलनीय डिजाइन से नए विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर आने में सहूलियत होगी। इससे विक्रेता आधार ज्यादा विविधतापूर्ण बनेगा और विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ेगी।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** संवर्धित जेम संभावित घोटालों का पता लगाने, अधिक सटीक अनुमानों के लिए बेहतर डाटा एनालिटिक्स प्रदान करने तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करेगा।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** जेम खरीददारों को डाटा और अंतर्दृष्टि के आधार पर खरीद का मौका देकर उनके निर्णय को निर्देशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह हरित उत्पादों और सेवाओं की अपनी सूची का विस्तार कर रहा है जिससे देश को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर, जेम का भविष्य के लिए रोडमैप इस प्लेटफॉर्म को एक और अधिक शक्तिशाली और समावेशी उपकरण बनाने के लिए है। यह सरकारी खरीद को और अधिक कुशल, पारदर्शी और समावेशी बनाने में मदद करेगा।



भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता

परिचय:

- भारत एक विशाल और विविध देश है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है और हाल के वर्षों में, यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है।
- भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है

फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ)

एफएफओ भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो विदेशी और घरेलू फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति और सुविधाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2015 में की थी।

एफएफओ के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक एजेंसियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने में सहायता करना
- शूटिंग के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करना
- फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाओं को विकसित करने में मदद करना



फिल्म सुविधा से संबंधित आंकड़े:

- 39 देशों की 197 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की गई।
- 16 देशों में से 10 से 20 आधिकारिक सह-उत्पादन, जिनके पास ऑडियो विजुअल सह-उत्पादन समझौते किए गए हैं
- 2019 से 129 घरेलू परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की गई .
- 1500 से अधिक फिल्म वीजा सुविधा प्रदान की गई।

निम्नलिखित पहलू भारत में फिल्म निर्माण को आसान बनाते हैं:

फिल्म वीजा जारी करना

- भारत सरकार द्वारा 2016 में विदेशी प्रोडक्शन के कलाकारों और उनके सहयोगियों के लिए फिल्म (एफ) वीजा नामक एक विशेष श्रेणी के वीजा की शुरुआत की गई है।

- यह वीजा एक साल के मल्टीपल एंट्री वीजा के रूप में दिया जा सकता है।
- विदेश में 158 भारतीय मिशनों के नोडल अधिकारी एफएफओ की सिफारिश पर अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के कलाकारों और सहयोगियों को फिल्म (एफ) वीजा जारी करते हैं।

अनुमति प्रक्रिया

- भारत में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को एफएफओ वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन शुल्क 225 अमेरिकी डॉलर है।
- गैर-प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में आमतौर पर 3 सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगता है। आवेदकों को 30 दिन पहले आवेदन करना होगा।

सीमा शुल्क रियायत पत्र की प्रक्रिया में न्यूनतम 7 कार्यदिवस लगते हैं। देश में आगमन पर यह पत्र सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को दिखाना होगा।

एफएफओ वेब पोर्टल

- एफएफओ वेब पोर्टल भारत में फिल्म निर्माण के लिए एकल खिड़की प्रणाली है।
- यह भारत में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रदान करता है।
- इसमें भारत में फिल्म निर्माण के लिए उपलब्ध विभिन्न स्थानों और सुविधाओं के बारे में जानकारी भी शामिल है।

एफएफओ वेब पोर्टल के लाभ:

- यह विदेशी और घरेलू फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करना आसान बनाता है।
- यह विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में काम करने के लिए भारतीय भागीदारों की तलाश करने में मदद करता है।
- यह भारत में फिल्म निर्माण के लिए सुलभता और पारदर्शिता को बढ़ाता है।


संघवाद को बढ़ावा और राज्य सरकारों के साथ कार्य

- **फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ):** यह कार्यालय राज्यों में फिल्म निर्माण को सुगम बनाने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं लागू करने में राज्य सरकारों के साथ काम करता है।
- **नोडल अधिकारी:** देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो फिल्मांकन अनुमति के लिए जिम्मेदार हैं।
- **राज्य फिल्म नीतियां:** राज्यों को फिल्म शूटिंग और निर्माण के लिए आधिकारिक नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें प्रोत्साहन योजनाएं भी शामिल हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव:** भारत सरकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भाग लेती है और भारत को फिल्म निर्माण के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देती है।

- **फिल्म बाजार:** भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का फिल्म बाजार घटक राज्यों के लिए अपनी सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, फिल्म स्थानों और प्रोत्साहन नीतियों को प्रदर्शित करने का एक अवसर है।
- **मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (एमएफएफएस) पुरस्कार:** यह पुरस्कार राज्यों को फिल्म निर्माता के अनुकूल नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

फिल्म प्रोत्साहन:

- संशोधित योजना के अनुसार, विदेशी प्रोडक्शन, चाहे वह लाइव शूट, आधिकारिक सह-प्रोडक्शन या पोस्ट-प्रोडक्शन, एनीमेशन और भारत में किए गए विजुअल इफेक्ट सेवाएं हो, भारत में किए गए योग्य उत्पादन व्यय के 40 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी, जो 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगी।
- दिसंबर 2023 तक, 13 परियोजनाओं ने प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया है।



एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा:

- भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के तरीके सुझाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है।
- विदेशी प्रस्तुतियों द्वारा भारत में किए गए एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट और पोस्ट-प्रोडक्शन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को उदार बनाया गया है।
- महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) वाली परियोजनाओं के लिए भारत में होने वाली लागत का 5 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- भारतीय कंपनियों ने आरआरआर, बाहुबली, दिलवाले, रा.वन, कृष 3, रईस आदि सहित घरेलू फिल्मों को भी पूरी तरह से सेवा प्रदान की है।

स्वतः रूट से एफडीआई : स्वतः रूट के माध्यम से फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं में अधिकतम शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सक्षम किया गया है।

निष्कर्ष: फिल्म शूटिंग का अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह क्षेत्र पर्यटन, रोजगार, संस्कृति, और देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देता है। इसलिए सरकार भी फिल्म निर्माण की सुगमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल कर रही है।



जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस

- 'ए क राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार' की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आजादी के बाद वस्तु और सेवा कर-जीएसटी अप्रत्यक्ष करों में लागू किया सबसे बड़ा सुधार है। जीएसटी लागू होने के साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्द्धित कर 'वैट', क्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, स्वायत्त निकाय कर, विलासिता कर, चुंगी इत्यादि अनेक केंद्रीय और राज्य कर समाप्त हो गए।
- इससे आर्थिक अवरोध कम हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित अर्थव्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुल गया है। करों के मूल्यों पर पड़ने वाले तीव्र प्रभाव को कम करके जीएसटी ने समूचे व्यापार परिवेश में सुधार लाकर कारोबार को सरल-सुगम बनाया।
- इन समस्त प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि विगत छह वर्षों में जीएसटी का कर आधार 67.8 लाख से बढ़कर करीब 1.4 करोड़ हो गया और अप्रैल, 2023 में 1,87,035 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व एकत्र हुआ जो अब तक का सर्वाधिक है। वार्षिक वृद्धि के आधार पर सर्वाधिक 15 प्रतिशत वृद्धि हुई।
- जीएसटी अनुपालन को कम करने, राज्यों में माल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने, कानूनों, प्रक्रियाओं, कर की दरों, सामान्य परिभाषाओं और इंटरफेस को माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के माध्यम सुसंगत बनाने पर केंद्रित है।
- जीएसटी की इतनी जबरदस्त कामयाबी का श्रेय स्वचालन (कंप्यूटरीकरण) और मानकीकरण को दिया जा सकता है। जैसे सभी कार्य ऑनलाइन हो जाने के कारण कर अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क रखने का झंझट पूरी तरह समाप्त हो गया है। 'कारोबार करने की सुगमता' के यही आवश्यक घटक हैं।




वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
भारत के विकास की रणनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा

- एक आर्थिक भारत का निर्माण
- 'मेक इन इंडिया' पहल को प्रोत्साहन
- वस्तु एवं सेवा का निरंकुश प्रवाह
- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक गतिविधि में वृद्धि

NATION TAX MARKET


- **पंजीकरण** : जीएसटी पंजीकरण पैन आधारित होता है और राज्यवार किया जाता है। जो भी व्यापार इकाई भारत भर में 40 लाख रुपये या अधिक मूल्य की (निर्दिष्ट राज्यों के लिए 20 लाख रुपये की) वस्तुओं की सप्लाई करे और 20 लाख रुपये मूल्य की (निर्दिष्ट राज्यों के लिए 10 लाख रुपये मूल्य की) सेवाएं प्रदान करे उसे जीएसटी पंजीकरण कराना पड़ता है।

- आवेदन के सात दिन के भीतर कर-प्रशासन को जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य होता है; जोखिम वाली परिस्थितियों में आधार कार्ड से जुड़े प्रमाणीकरण या व्यक्तिगत पुष्टिकरण में अधिक समय लग सकता है।
- आकस्मिक/अप्रवासी करदाताओं तथा विदेशी राजनयिक मिशनों के जिन लोगों को भारत में कर नहीं देना पड़ता उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लगातार रिटर्न दाखिल न करने के कारण पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में सभी बकाया। रिटर्न भरकर पंजीकरण को फिर शुरू करने की व्यवस्था उपलब्ध है जिससे करदाता का समय और मेहनत बच जाती है।
- **रिटर्न भरना** : जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं को हर महीने कई रिटर्न दाखिल करनी होती है जैसे- बाहरी सप्लाई के लिए जीएसटीआर-1, भीतरी (इनवर्ड) सप्लाई के लिए जीएसटीआर-2ए/2बी (जो स्वतः भरी जाती है), कर भरने के लिए जीएसटीआर-3बी, और जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न।
- ये सभी रिटर्न एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं- जब करदाता एक बार जीएसटीआर-1 दाखिल करता है तो इसमें की गई प्रविष्टियों के आधार पर जीएसटीआर-3बी की कई प्रविष्टियां स्वतः भर जाती हैं जिनमें जरूरी होने पर बदलाव किया जा सकता है।
- है। इसी प्रकार इनवर्ड रिटर्न (जीएसटीआर-2ए) भी संबंधित सप्लायरों की ओर से दाखिल जीएसटीआर-1 के आधार पर स्वतः ही भरी जाती है। कोई अंतर होने की स्थिति में करदाता इस व्यवस्था से स्वयं ही सुधार की कार्रवाई कर सकते हैं।
- देरी से दाखिल की गई रिटर्न के मामले में लेट-फीस और ब्याज का हिसाब भी सिस्टम में स्वतः हो जाता है। दो करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को 'फॉर्म-जीएसटीआर-9' भरने से छूट दी गई है। इसी प्रकार 5 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को 'फॉर्म जीएसटीआर-9सी' में मिलान विवरण दाखिल करने की जरूरत अब नहीं रह गई है।
- **ई-वे बिल** : यह वस्तुएं भेजने मंगाने के लिए भरा जाने वाला दस्तावेज है जिसमें भेजने वाले का नाम, प्राप्त करने वाले का नाम, ट्रांसपोर्टर का नाम, सामान भेजने का मूल स्थान और उसके गंतव्य स्थान का विवरण भरना होता है।



- समूचे देश के लिए इस बारे में मानकीकरण और समान परिपालन तंत्र लागू है जिसके अंतर्गत वस्तुएं भेजने की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को (कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर) इस आशय की पूरी जानकारी पहले ही अपलोड करके जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट करना होगा।


- इससे एकीकृत अखिल भारतीय सप्लाई-श्रृंखला तंत्र स्थापित हुआ है। चित्र-1 में एक तय अवधि में ई-वे बिल जनरेट करने में उतार-चढ़ाव का विवरण दिया गया है।



चित्र 1 : मासिक आधार पर ई-वे बिल (लाख में)

ई - निवारण : ऐसे पंजीकरण व्यक्तियों के लिए ई-इनवॉयसिंग अनिवार्य है जिनका समूचे देश में पिछले वित्त वर्ष के दौरान वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा था।

- जीएसटी इनवॉयस को इनवॉयसुर पंजीकरण पोर्टल- 'आईआरपी' पर भेजना होता है। रिपोर्ट मिलने पर आईआरपी एक विशिष्ट 'इनवॉयस संदर्भ संख्या' (आईआरएन) के साथ डिजिटली हस्ताक्षरित ई-इनवॉयस भेजता है।
- यह इनवॉयस प्राप्तकर्ता को क्यूआर कोड के साथ भेजा जाता है। ई-इनवॉयस से करदाता को अनेक लाभ मिलते हैं जैसे- एसटीआर-1 में इनवॉयसों की ऑटो-रिपोर्टिंग और जरूरी होने पर ई-वे बिल का ऑटो-जनरेशन/ई-इनवॉयस से मानकीकरण और अंतर-संचालन क्षमता बनाने में मदद मिलती है
- इससे आपसी कारोबार वाली पार्टियों के विवाद कम होते हैं, भुगतान-चक्र बेहतर होता है, प्रोसेसिंग का खर्च कम होता है ,जिससे व्यापार की समग्र कुशलता भी बढ़ जाती है। वास्तव में ई-इनवॉयस व्यवस्था लागू होने से कागजों का इस्तेमाल न के बराबर रह जाता है, जिससे व्यापार में होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी कम रहता है। चित्र-2 में एक अवधि में ई-इनवॉयसिंग का रुझान दर्शाया गया है।




चित्र 2 : ई-इनवाँयसों की संख्या (लाख में)

- **रिफंड** : मौजूदा संयंत्रों और मशीनरी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कार्य-पूजी उपलब्ध कराने के लिए रिफंड की मंजूरी समय पर देना जरूरी है। जीएसटी व्यवस्था में रिफंड प्रक्रिया मानक, सरल, समयबद्ध और टेक्नोलॉजी-चालित होती है जिससे करदाता और कर अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क की कम से कम जरूरत पड़े।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2009

अधिनियम में छोटे-मोटे प्रक्रियात्मक अपराधों जैसे कि कोई गलत या भ्रामक बयान या जानकारी देना और किसी भी जानकारी को नष्ट करना, विरूपित करना, हटाना या विकृत करना, के लिए 6 महीने तक की कारावास की धारा थी। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन प्रकृति में गंभीर नहीं है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है।

इन आपराधिक प्रावधानों को अब अधिनियम से हटा दिया गया है।



स्रोत: डीपीआईआईटी

- निर्यात की जाने वाली वस्तु पर लगने वाले आईजीएसटी यानी इनपुट जीएसटी का निर्यातक की ओर से कस्टम विभाग में दाखिल किए जाने वाले शिपिंग बिल तथा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के आधार पर पूरी तरह स्वचालित तरीके से रिफंड मिल जाता है। इसके लिए अलग से रिफंड का आवेदन नहीं करना पड़ता।
- जीएसटी के सरल परिपालन के लिए अनेक व्यापार-अनुकूल पहलें की गई हैं: पांच करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए एसएमएस के जरिये 'शून्य' रिटर्न दाखिल करने और तिमाही रिटर्न तथा मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना शुरू की गई है जिससे अब 24 की जगह सिर्फ 8 रिटर्न दाखिल करनी होती है। लगभग 89 प्रतिशत करदाता इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं और करीब 43 प्रतिशत करदाता इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

ब्याज संबंधी उपाय:

- केंद्रीय वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 50 में 1 जुलाई, 2017 से संशोधन करके व्यवस्था की गई है कि गलत तरीके से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान तभी करना होगा जब इसका लाभ उठाया गया है और साथ ही इसका उपयोग भी किया गया हो।
- इसके अलावा, गलत तरीके से प्राप्त और इस्तेमाल हो चुके आईटीसी पर लगने वाले ब्याज की दर भी जुलाई, 2017 से 24 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

प्रमुख अपराधों में रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे वाले प्रावधानों में कारावास/जुर्माने को या तो बरकरार रखा गया या कम कर दिया गया। उदाहरण के लिए:

असुरक्षित भोजन का निर्माण और वितरण करने पर **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** की **धारा 59** के तहत कारावास का प्रावधान है। आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे को देखते हुए, इस धारा को बरकरार रखा गया था।



रिफंड संबंधी उपाय : इनवर्टेड

- रेटेड स्ट्रक्चर के कारण इस्तेमाल न किए गए आईटीसी के रिफंड का हिसाब लगाने के वास्ते सीजीएसटी नियमों के नियम 89(5) के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मूले में संशोधन किया गया है।
- इससे इनवर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर के कारण होने वाले रिफंड की राशि - बढ़ जाएगी। कई स्थितियों में बिना पंजीकरण वाले व्यक्ति भी अस्थायी - पंजीकरण लेकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के माध्यम से सप्लाई के लिए करदाताओं के हितार्थ

उपाय:

- छोटे करदाताओं को ईसीओ के माध्यम से वस्तुएं सप्लाई करने और इंट्रा-स्टेट (राज्यों के बीच) ऑफलाइन तथा ऑनलाइन वस्तुएं सप्लाई करने में समानता त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 01 अक्टूबर, 2023 से कारोबार के पंजीकरण की अनिवार्यता वाली शर्त हटा ली गई है।
- कंपोजिशन करदाता भी कुछ शर्तें पूरी करने पर ईसीओ के माध्यम से ही इंट्रा-स्टेट सप्लाई कर सकेंगे। इससे छोटे करदाताओं को बिना पंजीकरण लिए ही अपनी वस्तुएं बेचने के लिए विशाल ई-कॉमर्स बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

नकदी प्रवाह बढ़ाने के उपाय:

किसी पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (इलेक्ट्रॉनिक नकदी बही खाते) में इस्तेमाल न हुई शेष राशि उसी पैन्-संख्या वाले गैर-पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक बही खाते में ट्रांसफर कर पाने का प्रावधान किया गया है।

निर्यातकों के लिए सुविधा:

- निर्यातकों की बिना ड्यूटी (क्रेडिट स्ट्रिप) वाली सप्लाई के मामले में आईटीसी वापिस लौटाने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। बिजली निर्यातकों की सुविधा के लिए बिजली निर्यात के कारण इस्तेमाल न की गई आईटीसी रिफंड करने के लिए भी संशोधन किए गए हैं।
- करदाताओं की सुविधा के लिए यूपीआई और आईएमपीएस को जीएसटी भुगतान के अतिरिक्त साधन बना दिया गया है और सीजीएसटी नियमों के नियम 87(3) में संशोधन करके कर भुगतान में सरलता और लचीलापन लाया जा रहा है।
- विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस सूचकांक में देशों का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंडों में देश की कराधान प्रणाली अहम है। आर्थिक और कर सुधारों के बल पर ही भारत सूचकांक सूची में लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है; इसका स्थान 2014 में 142वां था जबकि देश 2018 में 77वें स्थान पर आ गया तथा 2019 में 63वां स्थान प्राप्त कर लिया।

कंसल्टिंग फर्म डेट्रॉयट के हाल के सर्वेक्षण

- इस सर्वेक्षण के अनुसार जीएसटी के बारे में करीब 70 प्रतिशत बिज़नेस लीडर्स ने बढ़ती हुई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
- इसमें सभी आकार के कारोबारों पर सकारात्मक प्रभाव का संकेत है, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मझौले (एमएसएमई) उद्यम जीएसटी का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 88 प्रतिशत एमएसएमई प्रतिनिधियों ने वस्तुओं और सेवाओं की

लागत कम होने का तथ्य स्वीकार किया है और इसका श्रेय जीएसटी व्यवस्था की अधिक समानता पर आधारित प्रणाली को दिया गया है।

- नई कर प्रणाली जीएसटी अपनाने में आए शुरुआती झटकों के बावजूद इसे कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में और सप्लाई चेन की कुशलता सुधारने की दृष्टि से अहम बदलाव माना गया है। करदाताओं के लिए नियम-परिपालन का बोझ कम करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे की असल भावना, उसके क्रियान्वयन तथा करदाताओं पर उसके अपेक्षित प्रभाव में कोई कसर या खामी नहीं है।
- जीएसटी तंत्र की अपनी कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं और नुकसान काफी कम। जीएसटी परिषद् के सप्रयासों के फलस्वरूप यह प्रणाली अधिक समानता पर आधारित और कुशल बन सकी है जिससे यह सुधारात्मक उपाय इतनी बड़ी सफलता पा सका है।

वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की दिशा में भारत का निरंतर आगे बढ़ना

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सज़ा की गंभीरता/तीव्रता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कई अपराध, जो प्रकृति में छोटे या तकनीकी या प्रक्रियात्मक हैं और जिनके लिए निर्धारित सज़ा गैर आनुपातिक थी, को जन विश्वास अधिनियम के तहत अपराधमुक्त कर दिया गया है।
- आत्मनिर्भर भारत की यात्रा भारत द्वारा ईज़ ऑफ अ डूइंग बिज़नेस तथा ईज़ ऑफ लिविंग की दिशा में साहसिक और आत्मविश्वासपूर्ण कदम उठाने से जुड़ी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल के कुशल नेतृत्व में डीपीआईआईटी द्वारा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 (जन विश्वास अधिनियम) की अगुआई की।
- यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 छोटे अपराधों के लिए आपराधिक सज़ा को तर्कसंगत बनाता है।
- जन विश्वास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ाने के लिए अपराधों का वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) करना और तर्कसंगत बनाना है।


जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898



1

स्वेच्छा से झूठी से हटना, रजिस्टर में गलत प्रविष्टि करना, डाकघर के लेटर बॉक्स को नुकसान पहुंचाना जैसे छोटे-मोटे उल्लंघनों पर जुर्माने के साथ-साथ क्रमशः 1 महीने, 6 महीने और 1 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती थी।

स्रोत : डीपीआईआईटी



2

अवैतनिक डाक लेख भेजने पर 2 साल तक की कैद हो सकती थी। इन अपराधों को जन विश्वास अधिनियम, 2023 के तहत हटा दिया गया है।

- देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ वाले कुछ महत्वपूर्ण तर्कसंगत अधिनियमों में 1948 का फार्मसी अधिनियम, 1957 का कॉपीराइट अधिनियम, 1970 का पेटेंट अधिनियम, 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 का मोटर वाहन अधिनियम, 1999 का ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम, 2006 का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, और 2009 का कानूनी मेट्रोलाजी अधिनियम शामिल हैं।
- जन विश्वास अधिनियम उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सज़ा की गंभीरता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कई अपराध, जो प्रकृति में छोटे या तकनीकी या प्रक्रियात्मक हैं और जिनके लिए निर्धारित सजा अनुपातहीन थी, उन्हें जेवी अधिनियम के तहत अपराधमुक्त कर दिया गया है।
- यह 'कारावास' और/या 'अर्थदंड' से सज़ा को घटाकर केवल 'जुर्माना' करके कई विशिष्ट अपराधों का पूरी तरह से गैर-अपराधीकरण कर देता है जो प्रकृति में छोटा, तकनीकी या प्रक्रियात्मक है। जिसका अर्थ है कि अदालत अभियोग पक्ष को दंड देने की आवश्यकता नहीं है।
- जन विश्वास अधिनियम ने इन पहलुओं पर व्यापक रूप से काम किया है, जिसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है और व्यवसायों को कानूनी ट्रायल की कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया से बचाने की बड़ी क्षमता प्रदान की गई है। लीगल मेट्रोलाजी एक्ट में कारावास की सजा को अब बढ़े हुए जुर्माने से बदल दिया गया है।
- जन विश्वास अधिनियम केवल शुरुआत है और कई और कानून आने वाले हैं जो उद्योग को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्रालयों के तहत लंबित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इस प्रक्रिया का विस्तार किया जाना चाहिए [जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; और अन्य कानून और राज्य सरकारें (जैसे फैक्टरी अधिनियम, 1948; अंतर राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, आदि),
- सरकार ने सीआईआई सहित प्रमुख हितधारकों के परामर्श से विभिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानूनों को तर्कसंगत बनाने/ गैर-अपराधीकरण के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों और अधिक प्रावधानों की पहचान पर काम करना शुरू कर दिया है।
- भविष्य में, जन विश्वास अधिनियम का लाभ मौजूदा अपराधों तक भी बढ़ाया जाए। विगत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टी. बरई बनाम हेनरी आह होए मामले में यह विचार रखा था कि किसी अपराध के लिए कम सज़ा का लाभ पिछले उल्लंघनों तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून की कठोरता को कम करने में मदद करता है। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 (जन विश्वास बिल) पर संयुक्त समिति ने जन विश्वास बिल पर अपनी रिपोर्ट में पूर्वव्यापी प्रभाव देने की वैधता, संभावनाओं और अन्य परिणामों पर गौर करने की भी सिफारिश की है।

- प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से विस्तारित करते समय, आरोपी को संभवतः यह चुनने का विकल्प दिया जा सकता है कि वह वर्तमान कार्यवाही (और संभावित आपराधिक प्रतिबंधों का सामना करना) को जारी रखना चाहता है या गैर-आपराधिक प्रावधानों का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है।
- इसमें न केवल व्यवसायों के साथ-साथ न्यायपालिका पर बोझ को कम करने की अपार संभावनाएं होंगी, बल्कि सरकारी कामकाज की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ नीति निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।



- संक्षेप में, कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के साथ शुरू हुई गैर-अपराधीकरण यात्रा ने जन विश्वास अधिनियम के साथ गति पकड़ ली है। गति को जारी रखना महत्वपूर्ण होगा, और इसके लिए, जन विश्वास अधिनियम में निहित सिद्धांतों का उपयोग अन्य कानूनों में अपराधों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है।
- सीआईआई का मानना है कि कानूनों को निवारक के रूप में कार्य करने के बजाय उद्यमशीलता को सक्षम और प्रोत्साहित करना चाहिए और जब तक उनमें धोखाधड़ी या गलत काम का तत्व शामिल न हो, उनका वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) किया जाना चाहिए।
- गैर-गंभीर अपराधों के लिए व्यावसायिक कानूनों में आपराधिक प्रावधान निदेशकों, युवा उद्यमियों और घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच चिंताएं बढ़ाते हैं, जिससे व्यावसायिक भावनाओं और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस पर असर पड़ता है।

सीआईआई देश में कारोबार करने में आसानी के माहौल में निरंतर और त्वरित सुधार के लिए 'जेवी 2.0' लाने के सरकार के प्रयास में समर्थनजारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।



विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक माहौल में नाजुक संतुलन

प्रस्तावना:

- भारतीय उद्योग लंबे समय से कार्यस्थल पर संचालन से संबंधित विभिन्न कानूनों को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता का सुझाव देता रहा है, क्योंकि इससे निवेश माहौल अवरुद्ध होता है। इस संदर्भ में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 भारत के नियामक परिदृश्य में अहम भूमिका निभाता है।
- भारत में व्यापार को सुगम बनाने हेतु 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित, 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर; यह विधेयक विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक परिवेश के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

विधेयक की मुख्य बातें:

- यह विधेयक नियामक ढांचे को सरल बनाता है और व्यवसायों; विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक समान अवसर प्रदान करता है।
- विधेयक के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक जुर्मानों में व्यापक संशोधन है। यह पारंपरिक कारावासीय सजाओं की बजाय समकालीन वैश्विक रुखों के अनुरूप, अनुपालन के उल्लंघन के आर्थिक परिणाम पर बल देता है।
- यह प्रवर्तन वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत के एकीकरण के लिए आवश्यक है। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और सुगम व्यापार संबंधों को बढ़ावा देता है।
 - उदाहरण:
 - फिक्की द्वारा संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसा पर जुर्माने की जगह आर्थिक दंड लगाना।

फिक्की द्वारा सुझाए गए अपराध मुक्तिकरण के कुछ बुनियादी सिद्धांत:

- निदेशकों (या कम से कम स्वतंत्र निदेशकों) को परिचालन संबंधी अनुपालनों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- तकनीकी चूक/त्रुटियों जैसे रिकॉर्ड का रखरखाव, रिटर्न दाखिल करना आदि के लिए केवल मौद्रिक दंड होना चाहिए जिसे आगामी चूकों के लिए श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।
- पहली बार के अपराधों में केवल मौद्रिक दंड होना चाहिए जिसे निवारक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 252 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई आरोपी अपना दोष स्वीकार करता है, तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से आरोपी को कारावास या जुर्माने से दंडित कर सकता है।
- छोटे अपराधों के लिए फैंक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 92 के प्रावधानों को जन विश्वास विधेयक के अनुरूप अपराध मुक्त और तर्कसंगत बनाया जाए। आदि।

विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023

- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988**

- जन विश्वास अधिनियम, 2023 के तहत ड्राइविंग नियमों से संबंधित उल्लंघन, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा डालना और झूठे पंजीकरण पर पहले आर्थिक जुर्माना और 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की कैद का प्रावधान था जिसे अब समझौता योग्य बना दिया गया।

नोट: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता धारा 94, 96 और 97 के तहत संबंधित प्रावधानों को बढ़े हुए मौद्रिक दंड के साथ पूरी तरह से अपराधमुक्त कर दिया गया है।

कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009):

- इस अधिनियम के तहत कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी, नियंत्रक या निदेशक को प्रक्रियात्मक चूक में जुर्माने तथा 6 महीने तक की कैद का प्रावधान था जिसे अब समझौता योग्य बना दिया गया है।
- इस समझौता के द्वारा अपराधी को अभियोजन के बजाय पैसे का भुगतान करने का विकल्प दिया जाता है, जिससे दीर्घकालीन मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।
- गैर-मानक पैकेज बेचने के लिए दंड से संबंधित धारा 36 को अपराध मुक्त श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। अतः इसके अधीन कारावास के प्रावधानों को हटाकर केवल श्रेणीबद्ध जुर्माना और मौद्रिक दंड को ही रखा जाए।
 - **कारण:** वर्तमान में यह अधिनियम निरीक्षकों को छोटे-मोटे/तकनीकी अनुपालन उल्लंघन के बेहद मामूली कारणों पर नोटिस जारी करने का आदेता है।

- **उदाहरण:**

- अक्षर के आकार में अंतर भी किसी पैकेज को गैर-मानक बना सकता है, भले वह पढ़ा जा सकता हो।

श्रम संहिता:

- अधिनियमित नई संहिताओं में अपराधीकरण के प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
 - **उदाहरण:**
 - व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कामकाजी स्थिति संहिता 2019 की धारा 102 और 103 के अधीन कारावास और जुर्माना सहित बढ़े हुए दंड का प्रावधान है।
 - वेतन संहिता 2019, धारा 54(1) (डी) के तहत, 'संहिता-कारावास' के किसी भी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने पर अगली सजा (ऐसी पहली सजा से 5 साल के भीतर) के लिए एक महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान गंभीर चोट और दुर्घटनाओं और बकाया राशि के अपर्याप्त भुगतान से संबंधित हैं और उद्योग कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अतः इस प्रावधान को समाधेय बनाया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182:

राजनीतिक योगदान के संबंध में निषेध और प्रतिबंध:

- कोई कंपनी (नई एवं सार्वजनिक के अलावा) किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान केवल निर्दिष्ट वित्तीय साधनों के माध्यम से कर सकती है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल योगदान का उल्लेख कंपनी के लाभ और हानि खाते में अवश्य किया जाना चाहिए।
- कानून की यह आवश्यकता प्रक्रियात्मक प्रकृति की है। अतः कारावास की सजा का प्रावधान अनुचित होगा। इसे केवल मौद्रिक दंड तक ही सीमित किया जाना चाहिए।
- यदि कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो कंपनी को दंड के रूप में जुर्माना देना होगा जो योगदान की गई राशि का पांच गुना तक हो सकता है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 41 के साथ

पठित धारा 20 (2) / (3):

- यह राज्य बोर्ड द्वारा निर्वहन, निर्माण आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता है।
- इसमें जुर्माने के साथ 3 महीने तक के कारावास का प्रावधान है जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों और/या दोषी ठहराए जाने के बाद प्रति दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

विद्युत अधिनियम 2003-धारा 146:

- इस प्रकार के आदेश या निर्देश का उल्लंघन करने या ऐसे उल्लंघनों में सहायता करने पर प्रत्येक अपराध के लिए तीन महीने तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- यदि यह उल्लंघन पहली सजा के बाद भी जारी रहती है तो प्रत्येक दिन पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस प्रावधान को अपराधमुक्त करना आधुनिक नियामक प्रक्रियाओं के अनुरूप है जो दंडात्मक उपायों की बनिस्पत जानकारी प्रदान करने और सहयोग के आधार पर अधिक अनुकूल व्यावसायिक माहौल को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2023 भारत में अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- केंद्रीय विधानों के अधिभावी अस्तित्व के कारण राज्य सरकारें छोटे आपराधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने में असमर्थ हैं।
- अतः ऐसे केंद्रीय अधिनियमों की जांच के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण को आवश्यकता है जिसका अधीनस्थ राज्य विधानों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
 - उदाहरण:
 - हरियाणा सरकार द्वारा कुछ कानूनों को अपराध से मुक्त करना।



दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बीच भारत-अफ्रीकी संबंध

प्रस्तावना:

- भारत ने स्वयं को विकासशील देशों की आवाज, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के जनक और जी-77 विचार-विमर्श में सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित किया है।
- बावजूद इसके, व्यापार में प्रतिकूल वैश्विक निवेश और वित्तीय अवसरों का अभाव, राजकीय ऋणों का डूबना, राजनीतिक अस्थिरता और खनिज संसाधनों के शोषण आदि के मिलेजुले प्रभाव समग्र आर्थिक ढांचा कमजोर बनाए हुये हैं।
- इसी संदर्भ में ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यवस्था में अपना विशेष दर्जा प्राप्त करने और अपनी विशेष समस्याओं को मान्यता दिलाने की दिशा में प्रयासरत हैं।
- साथ ही हालिया जलवायु, कोविड, सशस्त्र संघर्ष और मुद्रास्फीति तथा जीवन-यापन की बढ़ती लागत (4सी: क्लाइमेट, कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग) जैसे कारकों ने भी सामाजिक-राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है।

ऐतिहासिक संबंध:

- प्राचीन काल में सिंधु घाटी और तत्कालीन अफ्रीकी सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध, यूनान में मिस्र और भारतीय शासकों के बीच हिन्द महासागर के रास्ते समुद्री व्यापार का वर्णन आदि आर्थिक और विविध सांस्कृतिक आदान-प्रदान के पुख्ता प्रमाण हैं।
- मध्यकालीन दौर में अबीसीनियाई तथा अन्य कई अफ्रीकी लोग भारतीय साम्राज्यों की सेवा में रहने लगे थे।
- औपनिवेशिक चरण में 'गिरमिटिया लोग' विस्थापित किए जाने पर अफ्रीका की ब्रिटिश कॉलोनियों में चले गए जिससे सांस्कृतिक संबंध भी विकसित हुए।
- बाद के काल में गांधीजी के नैतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और वैचारिक सहमति पर आधारित संबंधों से प्रेरित होकर भारतीय और अफ्रीकी नेताओं ने नव-उपनिवेशवाद की विचारधारा का विरोध किया जिससे उपनिवेशवाद-मुक्त विश्व की नई संरचना का सूत्रपात हुआ।
- तत्पश्चात अफ्रीकी धरती पर संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले मिशन ओएनयूसी के तहत कांगो में 1960 से 1964 के बीच भी भारत ने शांति सैनिक भेजे थे।

साउथ-साउथ सहयोग और बांडंग सम्मेलन:

- विकासशील देशों के बीच साउथ-साउथ सहयोग (एसएससी) के गठन में बांडंग सम्मेलन वैश्विक राजनीतिक आंदोलन के रूप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। इसका उद्देश्य उत्तरी देशों के दबदबे वाली राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को चुनौती देना था।

टेली-लॉ:

- यह कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
- टेली-लॉ की अवधारणा कानूनी सेवाओं में संलग्न वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की सुविधा प्रदान करना है।
- संबंधित प्राधिकरण और सी.एस.सी. परियोजना का लक्ष्य 1,00,000 ग्राम पंचायतों में पहचाने गए ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को पैनल वकीलों से जोड़ना है।
- टेली-लॉ 2.0 (टेली-लॉ और न्याय बंधु (प्रो बोनो) कानूनी सेवा कार्यक्रम का एकीकरण) कार्यक्रम 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में 50 लाख कानूनी सलाह की उपलब्धि पर लॉन्च किया गया था।

वर्तमान प्रासंगिकता:

- अफ्रीका से भारत को होने वाले निर्यात की दर में 23 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है और कुल व्यापार 2001 के मुकाबले 2013 में बढ़कर चौदह गुना हो गया है। भारत अफ्रीकी देशों को निर्यात करने वाले पांच सबसे बड़े निवेशकों में से है।
- सरकार से सरकार के स्तर पर आदान-प्रदान में सबसे कम विकसित (एलडीसी) देशों के लिए इयूटी-मुक्त दरें और ऋण पत्रों (एलओसी) का विस्तार शामिल है। ओएनजीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में निवेश किया है।
- 2022-23 में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कुल कारोबार लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारत के सीधे विदेशी निवेश का 22.5 प्रतिशत अफ्रीकी देशों में किया गया और यह मौजूदा निवेश 32 अरब डॉलर का है।
- मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को सहित भारत में अभी अफ्रीका के सीधे विदेशी निवेश 73 अरब डॉलर के हैं।
- 2009 में भारत-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन्स सम्मेलन में भारत ने सहयोग के खास क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जैसे:
 - कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस सप्लाई का विस्तार करके ऊर्जा सुरक्षा पक्की करना;
 - अपस्ट्रीम और ग्रीनफील्ड के आपसी अवसरों में निवेश बढ़ाना;
 - भारत का कौशल (खासकर डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्रों में) निवेश तथा
 - प्रतिभा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में किफायती निवेश करना।
- "वाशिंगटन सहमति से निकलो! दक्षिणी सहमति से जुड़ो।" और त्रिकोणीय सहयोग जैसी अनेक व्यवस्थाएं तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा।

दक्षिण दक्षिण सहयोग और भारत की विकास यात्रा :

- जी 7+ अंतर-महाद्वीपीय ग्रुप और ब्यूनर्स आयर्स कार्य योजना (बापा+40) ने विकासशील देशों को 'दक्षिण (गरीब) देशों और उनके लोगों के स्थायी विकास लक्ष्यों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने का आग्रह किया है।

- विकासशील देशों के बीच सहयोग संबंधी 2010 में आयोजित बोगोटा उच्चस्तरीय सम्मेलन ने समानता-आधारित भागीदारी और क्षमता विकास व्यवस्था को चिन्हित किया।
- 2011 के बुसान उच्च स्तरीय मंच और 2022-23 में दोहा कार्ययोजना के तहत महामारी से उबरने के उद्देश्य से गठित नई भागीदारी व्यवस्था संसाधन जुटाने में लगी है।
- इसी प्रकार 2017 में स्थापित भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष 15 करोड़ डॉलर का वित्तीय तंत्र है जिसने सबसे कम विकसित 18 देशों में 24 परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।
- साथ ही, गरीबी और भुखमरी दूर करने के लिए भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (इबसा) कोष 2004 में स्थापित किया गया था और इसने सबसे कम विकसित देशों में 22 परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी है।



- भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का विशेष उद्देश्य से 2017 में स्थापित कोष है। भारत इसका नेतृत्व और समर्थन करता है तथा इसका प्रबंध दक्षिण-दक्षिण सहयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय- यूएनओएसएससी करता है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने के तरीके:

- कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास की उत्पादक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
- एलडीसी देशों को व्यापार और आर्थिक समन्वयन के जरिये लचीली व्यवस्था तैयार करना।
- अफ्रीकी देश जो निर्यात वाले उत्पादों के समूह पर ही निर्भर हैं; तथा सबसे कम विकसित देशों को सहायता और निवेश के माध्यम से बेहतर बनाना।
- प्राकृतिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए ऋण समझौते और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को किसी जाल में फंसने से बचाने के लिए "सक्रिय गुट निरपेक्षता" की लैटिन अमेरिकी धारणा अपनाई जा सकती है।
- 2030 के एजेंडा लक्ष्यों को अधिक समग्र तरीके से प्राप्त करने के लिए विविध हितार्थियों की दृष्टि से उपाय अपनाने होंगे।
- दक्षिण अफ्रीका सहयोग के लिए भावी पहलें परिणामोन्मुख और राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ तालमेल रखने की दिशा में सक्रिय होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

- व्यापार में जोरदार वृद्धि के बावजूद दोनों पक्षों के बीच व्यापार की संरचना में काफी अंतर है। भारत को होने वाले अफ्रीकी निर्यातों में बार-बार की राजनीतिक अस्थिरता, परिवहन लागत, खराब व्यापार परिवेश और अफ्रीकी संसाधनों की बेतहाशा सुरक्षा के कारण गंभीर चुनौती बनी हुई है।
- ब्राउनफील्ड परियोजनाएं प्रादेशिक, विदेशी और आर्थिक संचालन में समन्वय की दृष्टि से मजबूत क्षेत्रीय तंत्रों का निर्माण करती हैं। अतः यूरोपीय संघ और आसियान की सदस्य देशों के बीच सहयोग की आंशिक सफलता के साथ साथ नाइजर में हुए 'इकोवास' की चेतावनी को भी याद रखी जानी चाहिए।
- इसके लिए विकसित देशों की सफलता, बुनियादी ढांचे के बदलाव पर अधिक निवेश, गरीब देशों से भुगतान को बढ़ावा देना और डायस्पोरा (प्रवासियों) के निवेश संसाधन और खनिजों के निर्यात मूल्यवर्द्धन को सौदेबाजी का मुद्दा बनाना भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

